# [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, २१ अगस्त, 2022

सा.का.िंग. \_\_\_\_\_(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नितिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में, उपाबंध में, ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी और वेब-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी-वेब के स्थान पर, निम्नितिखित प्ररूप क्रमशः रखे जाएंगे, अर्थात्ः-

# "प्ररूप सं. डीआईआर-3 - केवाईसी

निदेशकों की केवाईसी कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के अनुसरण में]



### प्ररूप की भाषा

0 अंग्रेजी

**Oहिंदी** 

- 'के रूप में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।
- भारतीय राष्ट्रीयता की दशा में, आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) सभी मामलों में अनिवार्य है, भले ही आयकर पैन में कोई परिवर्तन न हो। ऐसे मामलों में, निदेशक का विवरण आयकर पैन के अनुसार होना चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण गलत है, तो निदेशक / नामित भागीदार को सलाह दी जाती है कि पहले आयकर पैन में विवरण सही करें।
- प्ररूप की फाइलिंग के लिए निदेश किट देखें।

निदेशक संबंधित मचना

1.	(क)+निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
	(ख)+ <b>ਗ</b> ਸ			
2. '	निदेशक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)		72	
(क)	•			
(ख)				
(ग)	मध्य नाम			
3. <b>f</b>	पेता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम भरें)			
	(क) प्रथम नाम			
	(ख) उपनाम			
1	(ग) मध्य नाम			
4.	<ul><li>क्या भारतीय नागरिक हैं</li></ul>		O हां	O नहीं
5.	∗राष्ट्रीयता			
6.	<b>∗क्या भारतीय निवासी हैं</b>		O हां	० ० नहीं
7.	∗जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष) <u> </u>		-	
8.	<b>∗</b> लिंग	O पुरूष	O स्त्री	O ट्रांसजेंडर
9.	आयकर स्थायी खाता संख्या	~		त्यापित करें
10.	*क्या आपके पास आधार है		O हां	

		भाधार मंख्या		
	11.	आधार संख्या मतदाता पहचान पत्र संख्या		
	12.	<ul> <li>क्या आपके पास वैध पासपोर्ट है</li> </ul>	O हां	O नहीं
		पासपोर्ट संख्या		5 4.01
	13.	ड्राइविंग लाइसेंस संख्या		
	14.	*निजी मोबाइल संख्या		
			ओटीपी भेजें	पुनः ओटीपी भेजें
	15.	*मोबाइल संख्या के लिए ओटीपी दर्ज करें	ओटी	पी सत्यापित कर <del>ें</del>
	16.	∗निजी ई-मेल आईडी <u></u>	_	
				पुनः ओटीपी भेजें
	17.	*ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें	ओटीप	गी सत्यापित करें
	18.	स्थायी आवासीय पता		
		क्या भारत से बाहर स्थायी पता है	O हां	O नहीं
		'पंक्ति ।	-	
		पंक्ति ॥		
		'देश		
		*पिन कोड/ज़िप कोड		
		*क्षेत्र/इलाका <u> </u>		
		* <b>न</b> गर		
		ਗਿਕਾ		
		'राज्य/संघ राज्य		
		*पुलिस स्टेशन का अधिकार-क्षेत्र		*
		द्रभाष		
		फैक्स		
19	9.	'क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता	एक ही है हां	O नहीं O
20	).	वर्तमान आवासीय पता		×

°पंक्ति।			_	
पंक्ति ॥				
*देश			_	
*पिन कोड/ज़िप कोड			_	
*क्षेत्र/इलाका				
*नगर				
ਗਿला				
'राज्य/संघ राज्य				
*पुलिस स्टेशन का अधिकार-क्षेत्र_			-	
दूरभाष				
फैक्स			-	
<b>मं</b> लग्नक				
(क) स्थायी पते का प्रमाण	फाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड	
ख) आधार कार्ड की प्रति	फाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड	
ग) पासपोर्ट की प्रति	फाइल चुनें			
घ) वर्तमान पते का प्रमाण	फाइल चुनें			
ङ) वैकल्पिक संलग्नक- यदि कोई हों	फाइल चुनें			
	-			

#### <u>सत्यापन</u>

में एतदद्वारा यह पुष्टि और सत्यापन करता/करती हूं कि इस प्ररूप में दिए गए सभी विवरण सही है और इससे संलग्न किए जा रहे दस्तावेजों के अनुरूप हैं।

- (i) प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न किए जा रहे दस्तावेज मुझसे संबंधित हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि सभी अपेक्षित दस्तावेज संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से जारी किए गए हैं और उक्त प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न;
- (ii) मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि यह मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी है।

- (iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी करार नहीं किया गया है,
- (iv) मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन डीआईएन जिसमें परिवर्तन सूचित किए गए हैं, के अतिरिक्त, पहले कोई निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के अधीन कोई पद नामित भागीदार पहचान संख्या आबंटित नहीं की गई है,
- (v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के साथ पठित धारा 447 के तहत एवम भारतीय दंड संहिता 1860 के संबंधित प्रावधानों और यथा लागू किसी अन्य कानून के अधीन, यदि इस आवेदन में कोई बयान गलत पाया गया है या किसी सामग्री तथ्य को छिपाया गया है, तो मैं उसका उत्तरदायी रहंगा।

डीआईएन	धारक	द्वारा	डिजीटल	हस्ताक्षर	हेत्
--------	------	--------	--------	-----------	------

डीएससी बॉक्स

# पैक्टिसिंग पेशेवर द्वारा प्रमाणपत्र

मैं, यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के स्पष्टीकरण/प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से नियुक्त किया गया हूं। एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

- मैं संलग्न मूल दस्तावेजों के आधार पर डीआईएन धारक और उनके पते के संबंध में संतुष्ट हूं।
  - टिप्पणः आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में विशिष्टियों को यथाविहित सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित दस्तावेजों से किया जाना है।
- ा 'मैंने, मेरे समक्ष प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के आधार पर डीआईएन धारक के दस्तावेज़ें को सत्यापित और अनुप्रमाणित कर लिया है।
- 🗆 'इस आवेदन के साथ आवश्य अनुलग्नक पूर्ण रूप से संलग्नक हैं।
- 'मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ा है तथा मैंने कंपनी/ डीआईएन धारक द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों से उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक सहित) का सत्यापन कर लिया है जो कि इस प्ररूप की विषयवस्तु है और इन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपायी नहीं गई है।

'मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :-

- 'मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक के हैं।
- o 'सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और पठनीय रूप से संलग्न

किये गए हैं।

- 'मैंने आगामी संदर्भ के लिए अपने अभिलेखों में इस प्ररूप और इसके संलग्नकों की एक प्रतिलिपि रख ली है।
- 'यह जात है कि यदि कभी भी कोई प्रमाणन मिथ्या पाया गया तो मेरे विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के साथ पठित धारा 447 के तहत गलत प्रमाणपत्रों के लिए मैं उत्तरदायी हूं, के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

*डिजीटल हस्ताक्षर हेतु DSC E	BOX					
*श्रेणी	- 64					
(चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्ण-कालिक अभ्यासरत), कॉस्ट अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यासरत), सचिव,						
पूर्णकालिक, अभ्यासरत)						
* एसोसिएट हैं या फेलो	O एसोसिएट	O फेलो				
सदस्यता संख्या						
प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र संख्या						
	<u>सेव</u> करें	<u>जमा करें</u>				
टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 44	8 और धारा 449 के साथ पठि	त 447 के उपबंधों की				
टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 44 ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें						
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें के लिए दंड का प्रावधान है।						
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें के लिए दंड का प्रावधान है। केवल कार्यालय प्रयोग हेतुः	क्रमशः मिथ्या विवरण/प्रमाण-ष					
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें के लिए दंड का प्रावधान है। केवल कार्यालय प्रयोग हेतुः ई-फार्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	क्रमशः मिथ्या विवरण/प्रमाण-ष					
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें के लिए दंड का प्रावधान है। केवल कार्यालय प्रयोग हेतुः ई-फार्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-फार्म जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	क्रमशः मिथ्या विवरण/प्रमाण-ध	नत्र और मिथ्या साक्ष्य				
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें के लिए दंड का प्रावधान है। केवल कार्यालय प्रयोग हेतुः ई-फार्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	क्रमशः मिथ्या विवरण/प्रमाण-ष 	नत्र और मिथ्या साक्ष्य				



# प्ररूप सं. डीआईआर-3 - केवाईसी-वेब

निदेशकों की केवाईसी का ब्यौरा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के अनुसरण में]

प्ररूप	की	भाषा
77.7	471	जाना

0अंग्रेजी **Oहिंदी** 

		4			_	$\sim$	_		
•	Я₹Ч	का	फाडलिंग	क	ालए	ानदश	किट	देख	ı

'के रूप में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।

उपयागकता	सत्यापन

उपयोगकर्ता सत्यापन		
1. ∗िनदेशक पहचान संख्या 2. (क)∗िनजी मोबाइल संख्या	-— ओटीपी भेजें पुनः ओटीपी भेजें	
*मोबाइत संख्या के लिए ओटीपी दर्ज करें	ओटीपी सत्यापित करें	
(ख) •निजी ई-मेल आईडी	ओटीपी भेजें पुनः ओटीपी भेजें	
*ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें	ओटीपी सत्यापित करें	
उपयोगकर्ता का ब्यौरा		
3. *निदेशक का नाम		
<ol> <li>4. ∗िपता का नाम</li> </ol>		
<ol> <li>+क्या भारतीय हैं</li> </ol>	O हां O नहीं	
6. ∗राष्ट्रीयता		
7. +क्या भारतीय निवासी हैं	O हां O नहीं	
8. *जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष)		
9. *लिंग		

10. आयकर पैन
11. आधार संख्या
12. मतदाता पहचान पत्र संख्या
13. पासपोर्ट संख्या
14. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
15. *स्थायी आवसीय पता
16. *वर्तमान आवसीय पता
पुष्टीकरण
<ul> <li># मैं, यह स्वीकार एवं पुष्टि करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य, सही और पूर्ण हैं।</li> </ul>
रद्द करें <u>सेव करें</u> <u>आगे बढें</u>

|"|

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल-। पार्ट-।]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 439(अ) तारीख 10 जून, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUBSECTION (i)]

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29 HAugust, 2022

G.S.R.\_\_\_\_ (E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to subsection(1), sub-section (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section(1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in the Annexure, for e-form DIR-3-KYC and web-form DIR-3-KYC-WEB, the following forms shall respectively, be substituted, namely:-

## "FORM NO. DIR-3-KYC

Form language

English

Hindi

# KYC of Directors

[Pursuant to rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

All fields marked in \* are mandatory

In case of Indian nationals, Income-tax Permanent Account Number (Income-tax PAN) is mandatory in all cases even if there is no change in Income-tax PAN. In such cases, director details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, director/designated partner is advised to first correct the details in Income-tax PAN

Refer instruction kit for filing the form

Director related information	
1 (a) *Director Identification Number (DIN)	
(b) *Name	
2 Director's Name (Enter full name and do not use abbreviations)	
(a) First name	
(b) Last name	
(c) Middle name	
3 Father's Name (Married woman shall also give father's name)	
(a) First name	(5)
(b) Last name	
(c) Middle name	
4 *Whether a citizen of India	O Yes O No
5 *Nationality	
6 *Whether resident in India	○ Yes ○ No
7 *Date of birth (DD/MM/YYYY)	
8 *Gender	Male Female Transgender
9 Income tax PAN	Verify Income Tax PAN
10 *Do you have Aadhaar	O Yes O No
Aadhar number	
11 Voter's Identity card number	

12 *Do you have a valid passport	○ Yes ○ No
Passport number	
13 Driving license number	81
14 *Personal Mobile Number	
	Send OTP Re-send OTP
15 *Enter OTP for Mobile Number	Verify OTP
16 *Personal Email ID	
	Send OTP Re-send OTP
17 *Enter OTP for e-mail ID	Verify OTP
18 Permanent residential address	venyor
Do you have permanent address outside India	O Yes O No
*Address Line 1	30
Address Line 2	
*Country	<b>▼</b>
*Pin Code/Zip Code	
*Area/Locality	▼
*City	
District	
*State/UT	
*Jurisdiction of police station	
Phone	
Fax	
1.9 *Whether present residential address is same as permanent residential	
20 Present residential address	al address O Yes O No
S Frederic residential address	
*Address Line 1	
Address Line 2	
*Country	V

*Pin Code/Zip Code				
*Area/Locality				▼
*City				
District				
*State/UT				
*Jurisdiction of police station				=
Phone Fax				
Attachments				
(a) *Proof of permanent address	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(b) Copy of Aadhaar Card	Max 2 M8	Choose File	Remove	Download
(c) Copy of Passport	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(d) Proof of present address	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
(e) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose File	Remove	Download
Verification				
I, hereby confirm and verify that the particulars given in the Form he documents being attached to this form.	rein above are true	and also are in agre	ement with th	ne
(i) The documents being attached to the Form DIR-3KYC belong to riduly issued by the respective government authority and are attached	ne. I further confirn d to the Form DIR-3	n that all required do KYC;	cuments have	e been
(ii) I further confirm that the Mobile No and email ID belong persona	illy to me;			
(iii) I have not been declared as a proclaimed offender by any court of Court or any other Court;	of Economic Offence	es or court of Judicial	Magistrate o	r High
(iv) I have no other allotted DIN other than DIN in which changes are a Designated Partner Identification Number under section 7 of the Li	intimated under se mited Liability Partr	ection 154 of the Com nership Act, 2008; an	npanies Act,20	013 or
(v) I shall be liable under section 447 read with section 448 of the Companies Act, 2013 and under relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found to be false or any material fact is found to be have been omitted.				
*To be digitally signed by DIN holder		DSC BOX		

Certi	incare by bracticing broiessional					
I deci	are that I have been duly engaged for the purpose of certification/verification of th	is form. It is hereby certified that:				
	*I have satisfied myself about the identity of the DIN holder and his address based on the perusal of the original of the attached document.  Note: In case where the DIN holder is residing outside India the particulars have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as prescribed.					
	*I have verified and attested the documents of the DIN holder based on the Originals documents produced before me.					
	*All required attachments have been completely attached to this application.					
	*I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules there us and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including records maintained by the Company/DIN holder which is subject matter of this for and complete and no information material to this form has been suppressed.	attachment(s)) from the original				
	*I further certify that:					
	*Mobile No and email ID belong to the Director signing the form.					
	*All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.					
*I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for further reference.						
	*It is understood that I shall be liable for action under section 447 read with section wrong certifications, if any found at any stage.	n 448 of The Companies Act, 2013 for				
*To be	digitally signed by	DSC BOX				
* Cate	gory					
	ered accountant (in whole-time practice, ccountant (in whole-time practice)	V				
*Whet	her associate or fellow	O Associate O Fellow				
Memb	ership number					
Certific	ate of Practice number					
		Save				
provide	ttention is drawn to provisions of Section 447 read with section 448 and 449 of the forpunishment for false statement / certificate and punishment for false evidence use only:	ne Companies Act, 2013 which ce respectively.				
	Service request number (SRN)					
eForm f	iling date (DD/MM/YYYY)					

This eform has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the director and professional.

# MILE AND AND

14 Driving License Number

#### FORM NO. DIR-3-KYC-WEB

#### Form language

English

Hindi

Verify Director's KYC Details
[Pursuant to rule 12A of The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

Refer instruction kit for filing the form All fields marked in \* are mandatory **User Verification** 1 \*DIN of director 2 (a) \*Personal Mobile Number \*Enter OTP for Mobile Number 2 (b) \*Personal Email ID Send OTP Re-send OTP \*Enter OTP for email-ID Verify OTP User details 3 \*Director's Name 4 \*Father's Name 5 \*Citizen of India O Yes O No 6 \*Nationality 7 \*Resident of India O Yes O No 8 \*Date of Birth (DD/MM/YYYY) 9 \*Gender 10 Income Tax PAN 11 Aadhaar Number 12 Voter's Identity Card Number 13 Passport Number

15 *Permanent Residential Address					
16 *Present Residential Address					
Confirmation					
*I, accept and confirm that the particulars given herein above are true, correct, and complete.					
	Cancel Save Proceed				

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I]

MANOJ PANDEY, Joint Secretary

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 439 (E), dated the 10<sup>th</sup> June, 2022.